# माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प कोर्ट इन्दौर के समक्ष

इशाक मोहम्मद पिता अब्दुल मजीद मंसुरी
ठेकेदार, निवासी – सिलकुआ, तहसील–डहीं, –– आवेदक
विरूध्द
(1) मुश्ताक पिता गफुर खॉ मंसुरी
(2) मुस्तकीम पिता गफुर खॉ मंसुरी
(3) निजाम खॉ पिता गफुर खॉ मंसुरी
(4) लियाकत खॉ पिता गफुर खॉ मंसुरी
(5) मुबारीक खॉ पिता गफुर खॉ मंसुरी
(6) सिकन्दर खॉ पिता गफुर खॉ मंसुरी
(7) मंसुर पिता गफुर खॉ मंसुरी
(8) इकबाल पिता नुर मोहम्मद मंसुरी
(9) कय्युम खॉ पिता नुर मोहम्मद मंसुरी
(10) साजिद पिता इकबाल मंसुरी
(11) अलाउद्दीन पित हारून रशीद मंसुरी
(12) कालु पिता हारून रशीद मंसुरी
(13) कादीर पिता रशीद खॉ मंसुरी
(14) काले खॉ पित इस्माईल मंसुरी
(15) सिराज पिता कमरूद्दीन मंसुरी
(16) फिरोज पिता छोटे खॉ मंसुरी
(17) अय्युब पिता छोटे खां मंसुरी
(18) सादिक पिता शकुर खा मंसुरी
(19) निदा हसन पिता शाकीर खॉ रंगरेज
(20) शाकीर पिता अल्लाबेली रंगरेज
(21) सिद्दीक पिता मुबारीक मंसुरी
(22) एजाज पिता मंसुर खॉ मंसुरी
(23) ईदरीस पिता शब्बीर मंसुरी
(24) इमरान पिता शब्बीर मंसुरी
(25) शौकत उर्फ मड्डु पिता अजिज खॉ मंसुरी
(26) कामिल पिता नबीबख्श उर्फ बुद्दु मंसुरी
(27) कमालु पिता हारून रशीद मंसुरी
(28) सीराज पिता रज्जाक मंसुरी
(29) शेहजाद पिता रज्जाक मंसुरी
(30) सलीम पिता नुरमोहम्मद मंसुरी
(31) जुबेर पिता मंसुर खॉ मंसुरी
(32) फारूख पिता हारून रशीद मंसुरी
(33) मोहसीन पिता फारूख मंसुरी
(34) सलाउद्दीन पिता निजाम मंसुरी
(35) मुबारीक पिता पिरबख्श मंसुरी

.....2

(36) सरफराज पिता शफी मोहम्मद कोसारीया
(37) मुकद्दर पिता सिकन्दर खॉ मंसुरी
(38) जावेद पिता शोकत उर्फ मडु मंसुरी
(39) कय्युम पिता छोटे खॉ मंसुरी
(40) आशीक पिता अनवर मंसुरी
(41) जावेद पिता इस्माईल मंसुरी
(42) शफी पिता अश्फाक मंसुरी
(43) साबीर पिता इकबाल मंसुरी
सभी निवासी सिलकुआ तहसील–डहीं जिला–धार
(44) कमल पिता घीसालाल गर्ग
सचिव ग्राम पंचायत सिलकुआ, जनपद पंचायत डहीं जिला धार
(45) कैलाश पिता उमराव पटेल,
सरपंच ग्राम पंचायत सिलकुआ, जनपद पंचायत डहीं जिला धार — अनावेदक गण

**विषय :— रिव्हीज़न धारा 50 (1) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत**

माननीय महोदय,

सेवा, में आवेदक, निम्न अनुसार रिव्हीज़न प्रस्तुत करता है कि :—

आवेदक, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, (राजस्व) कुक्षी जिला–धार के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 10/2011–12/अपील में दिनांक 13–04–2012 को पारित आदेश के विरूध्द यह रिव्हीज़न नियत न्याय शुल्क पर प्रस्तुत करता है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13–4–2012 को आदेश परित किया। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये आवेदन पत्र दिनांक 28–4–2012 को प्रस्तुत किया, आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30–6–2012 को प्राप्त हुई। नकल मिलने के दिन मुजरा करते हुए यह रिव्हीज़न नियत अवधि मे प्रस्तुत है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत है।

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2959–पीबीआर/12 जिला धार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 7/12/17 | आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2, 5, व 7 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में अभी ग्राह्यता पर भी निर्णय होना है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13–4–12 को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अन्तिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, अंतिम आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रतिबंधित है । अतः यह निगरानी विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |